जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- स्वरूपगंज
पटवार हल्का :- स्वरूपगंज
भू.अभि.नि. :- खैराबाद
तहसील :- हमीरगढ़
जिला :- भीलवाड़ा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 181
खाता संख्या पुराना :- 180

काश्तकार का नाम:-

1. पुष्पा पत्नि सतीश हिस्सा- 1/2 जाति- तांपडिया सा. काकरोली खातेदार
2. रेखा पत्नि सुनिल हिस्सा- 1/2 जाति- तापडिया सा. काकरोली खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
313	1.2772	बंजड़	1.2772	0.57	चा.नं.2		
314	0.0253	गैपु.खड्डा	0.0253				
कुल खसरे - 2	1.3025		1.3025	0.5700			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 8-Nov-2024

NIC

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- स्वरूपगंज
पटवार हल्का :- स्वरूपगंज
भू.अभि.नि. :- खैराबाद
तहसील :- हमीरगढ़
जिला :- भीलवाड़ा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 186
खाता संख्या पुराना :- 181

काश्तकार का नाम:-
1. पुष्पा पत्नि सतीष हिस्सा- 1/2 जाति- तापडिया सा. राजसमन्द खातेदार
2. रतनदेवी पत्नि रामराय हिस्सा- 1/2 जाति- काबरा सा. भीलवाड़ा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
316	0.2276	चाही I	0.1770	1.59	चा.न.328		
		जाव I	0.0506	0.23	चा.न.328		
317	0.2276	चाही I	0.1770	1.59	चा.न.328		
		जाव I	0.0506	0.23	चा.न.328		
कुल खसरे - 2	0.4552		0.4552	3.6400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 8-Nov-2024

NIC

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

क्रमांकः LU2012/BHL/2024-25/100722

दिनांकः 26/02/2025

विषयः – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्रीमति **PUSHPA TAPARIA** पत्नी श्री **SATISH TAPARIA** जाति **TAPARIA** निवासी **RAJSAMAND**

श्रीमति **REKHA TAPARIA** पत्नी श्री **SUNIL TAPARIA** जाति **TAPARIA** निवासी **82 KISHORE NAGAR RAJSAMAND**

श्रीमति **RATAN DEVI** पत्नी श्री **RAMRAI KABRA** जाति **KABRA** निवासी **H&11 MAHESH COLONY SEWA SADAN ROAD BHILWARA**

1. ऊपर नामित आवदेक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	स्वरुपगंज, हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)	PUSHPA W/O SATISH TAPARIA HISSA 1/2, REKHA W/O SUNIL TAPARIA HISSA 1/2	313,314	13025	1.3025
2.	स्वरुपगंज, हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)	PUSHPA W/O SATISH TAPARIA HISSA 1/2, RATAN DEVI W/O RAMRAI KABRA HISSA 1/2	316,317	4552	0.4552
				कुल	**1.7577**

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **26-02-2025** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

Signature valid

Digitally Signed by
CHIMMANLALMEENA
Designation : DC/ AO
Date: 2025.02.26 17:40:33 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- स्वरूपगंज
पटवार हल्का :- स्वरूपगंज
भू.अभि.नि. :- खैराबाद
तहसील :- हमीरगढ़
जिला :- भीलवाड़ा

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 288
खाता संख्या पुराना :- 275

काश्तकार का नाम:-

1. नगर विकास न्यास यु आई टी भीलवाडा हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
109	0.0253	आवासीय प्रयोजन	0.0253	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 875 02/11/2022न्याया. आदेश	
118	0.6576	आवासीय प्रयोजन	0.6576	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 899 02/06/2023न्याया. आदेश	
119	0.2150	आवासीय प्रयोजन	0.2150	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 948 07/10/2024न्याया. आदेश	
121	0.2529	आवासीय प्रयोजन	0.2529	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 959 18/03/2025न्याया. आदेश	
122	0.6196	आवासीय प्रयोजन	0.6196	0.00			
132	0.2276	आवासीय प्रयोजन	0.2276	0.00			
144	0.3161	आवासीय प्रयोजन	0.3161	0.00			
150	0.4552	नहरी II	0.4552	1.00	न.न.720		
151	0.0379	बंजड़	0.0379	0.02			
152	0.3920	चाही II	0.1897	1.29	चा.न.154		
		जाव II	0.1391	0.47	चा.न.154		
		बंजड़	0.0632	0.03	चा.न.154		
190/1	0.2655	आवासीय प्रयोजन	0.2655	0.00	चा.न.188		
191	0.4426	आवासीय प्रयोजन	0.4426	0.00	चा.न.188		
192	0.3920	आवासीय प्रयोजन	0.3920	0.00			
193/1	0.3035	आवासीय प्रयोजन	0.3035	0.00			
313	1.2772	आवासीय प्रयोजन	1.2772	0.00	चा.न.2		
314	0.0253	आवासीय प्रयोजन	0.0253	0.00			
315/2	0.2908	आवासीय प्रयोजन	0.2908	0.00			

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- स्वरूपगंज
पटवार हल्का :- स्वरूपगंज
भू.अभि.नि. :- खैराबाद
तहसील :- हमीरगढ़
जिला :- भीलवाड़ा

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 288
खाता संख्या पुराना :- 275

316	0.2276	आवासीय प्रयोजन	0.2276	0.00	चा.न.328
317	0.2276	आवासीय प्रयोजन	0.2276	0.00	चा.न.328
334/1	0.3161	आवासीय प्रयोजन	0.3161	0.00	चान.339
336	0.0632	आवासीय प्रयोजन	0.0632	0.00	
337	1.2139	आवासीय प्रयोजन	1.2139	0.00	चा.न.340,342
341/3	0.2529	आवासीय प्रयोजन	0.2529	0.00	चा.न.340,342
341/4	0.1897	आवासीय प्रयोजन	0.1897	0.00	चा.न.340,342
487	0.0759	आवासीय प्रयोजन	0.0759	0.00	
832/144	0.7334	आवासीय प्रयोजन	0.7334	0.00	
839/119	0.4173	आवासीय प्रयोजन	0.4173	0.00	
901/485	0.5183	आवासीय प्रयोजन	0.5183	0.00	
कुल खसरे - 28	10.4320		10.4320	2.8100	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 31-Jul-2025

NIC

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BX 668739

NOTARY M.K. BAGOTIA Advocate Reg. No. 4856 GOVT. OF INDIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this 15 July 2025 at Bhilwara.

BETWEEN

1. **Pushpa Tapariа**D/o RamrajKabra aged 56 years R/o 82, Kishore Nagar, Rajnagar, PO- Kankroli, District- Rajsamand, Rajasthan- 313324(hereinafter referred to as the "Promoter and Land Owner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part;**

2. **Rekha Tapariа**D/o Mohan Lal Nuwalaged 57 years R/o82, Kishore Nagar, Rajsamand, Rajasthan- 313324(hereinafter referred to as the "Landowner and Other Promoter")which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part**;

NOTARY M.K. BAGOTIA Advocate Reg. No. 4856 GOVT. OF INDIA

Pushpa Taparia

ATTESTED

NOTARY JAIPUR RAJASTHAN (INDIA)

31 JUL 2025

3. **Ratan Devi D/o** Mohan Lal Nuwal aged 77 years, R/o H-11, Mahesh Colony, SewaSadan Road, Bhilwara, Rajasthan-311001(hereinafter referred to as the "Landowner and Other Promoter")which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Third Part**;

Whereas the above referred parties jointly owned a piece of Land **"ARIHANT GREENS PHASE-1"** situated at Araji No. 313, 314, 316, 317 of Village- Sawroopganj, Tehsil- Hamirgarh, District- Bhilwara, State-Rajasthan.

NOW IT IS HEREBY AGREEDANDDECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. The project **"ARIHANT GREENS PHASE-1"** situated at Araji No. 313, 314, 316, 317 of Village- Sawroopganj, Tehsil- Hamirgarh, District- Bhilwara, State-Rajasthan, shall be jointly developed by all the parties.

2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the parties.

3. That,Pushpa Tapariashall act as a Promoterand remaining partyshall act as the other promotersin the above referred project land **"ARIHANT GREENS PHASE-1".**

4. That,Pushpa Tapariashall sign all the documents related to RERA.

5. That, all the Rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed jointly by all the parties.

6. That three bank accountsshall be openedas provided in section 4(2)(1)(D) of the RERA Act.

Pushpa Tapariya

ATTESTED

NOTARY BHILWARA
RAJASTHAN (INDIA)

31 JUL 2025

7. All the receipts/lossesfrom the booking and sale of units in the project"**ARIHANT GREENS PHASE-1**"shall be shared between the parties in ratio of their ownership.

	Name of Landowner	% of Ownership
1.	PUSHPA TAPARIA	33.33%
2.	REKHA TAPARIA	33.33 %
3.	RATAN DEVI	33.33 %
TOTAL		100%

8. That, if any contradiction arises or any lossor damage to any allotteearises in any manner in the future all the parties jointlytakes responsibility to compensate for the same.

Pushpa Taparia

Pushpa Taparia
(Promoter)

रेखा तापड़िया

Rekha Taparia
(landowner)

रतन देवी

Ratan Devi
(Landowner)

NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED

NOTARY JAIPUR
RAJASTHAN (INDIA)

31 JUL 2025